अपील संख्या 20/2014 बिदामी देवी पत्नि लिखमीचंद जाति माहर निवासी 11एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 402 ई–6जी. एच. 79 सेक्टर, 20 पंचकुला हरियाणा बनाम 1–कृष्णगोपाल पुत्र कुन्दनलाल निवासी 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–कमलादेवी पत्नि कुन्दनलाल निवासी 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3–ममता पुत्री कुन्दनलाल निवासी 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 4–सुमन पुत्री कुन्दनलाल निवासी 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 5– मधुसूदन बिहाणी पुत्र स्व0 सुशील बिहाणी जाति बिहणी निवीस 14 पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.06.2017

1– पत्रावली पेश हुई। पक्षकार आज उपस्थित नही है। दिनांक 17.05.17 को रेस्पो0 कृष्णगोपाल व कमला की ओर से सिविल रिट पेटीशन सं0 4752/2012 अनवानी जरनेल सिंह वगैरा बनाम एसडीओ गंगानगर निर्णय 26.08.16 पेश की और दिनांक 17.05.17 को ही उनकी बहस सुनी जा चुकी है और उनके द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि पूर्व में उनके द्वारा लिखित बहस भी पेश की हुई है। अपीलार्थीया या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नही है उनकी ओर से दिनांक 10.05.2017 को लिखित बहस पेश की हुई है और दिनांक 24.12.15 को भी एक लिखित बहस पेश की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– **यह अपील** अपीलार्थी बिदामी देवी द्वारा उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर (अधिकारण) के प्रकरण सं0 56/13 बिदामीदेवी बनाम कृष्णलगोपाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 03.01.2014 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थीया का प्रा0 पत्र दिनांक 10.12.2013 खारिज कर दिया और अपीलार्थीया को माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 के अन्तर्गत किसी प्रकार की राहत प्रदान नही की।

3– **अपीलार्थीया** बिदामी देवी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहसो में कथन है कि उसके पति लिखमीचंद के नाम चक ख्यालीवाला में एक मकान उतर की ओर साईज 54 फुट, पूर्व में 120 फुट, पश्चिम में 100 फुट उत्तर की और खुलता हुआ जिसमें 6 कमरे और एक दरवाजा है और चक 16 एम.एल. के खाता सं0 98/45 के मु0न0 7 के कि0न0 5/1, 16/2 से 25 की 2.0420 हेक्टर व मु0न0 8 के कि0न0 1/1, 11, 12, 19, 20, 21 की 0.969 हेक्टर दोनो मुरब्बो की कुल 3.110 हेक्टर भूमि थी और चक 11 एलएनपी में प्रार्थीया/अपीलांट के लड़के कुन्दनलाल के नाम से एक अहाता कुल क्षेत्रफल 234.09 वर्गमीटर ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन किया गया है।

4– **उनका आगे** कथन है कि अपीलांट/प्रार्थीया के पति लिखमीचंद का देहान्त हो चुका है और अपीलांट व प्रार्थीया का पुत्र कुन्दनलाल व उसकी दो पुत्रीयां सरस्वति व सरोज वारिस है और उसके पति लिखमीचंद की मृत्यु उपरांत प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है।

5– **उनका आगे** यह भी कथन है कि प्रार्थीया के पुत्र कुन्दनलाल का उसके पति लिखमीचंद के मृत्यु के बाद देहान्त हो गया था इसलिए लिखमीचंद की उक्त कृषि भूमि में कुन्दनलाल का चौथा हिस्सा था जो उसके वारिसान को प्राप्त हुआ है। जिसमें मृत्तक कुन्दनलाल का लड़का रेस्पो0 सं0 1 कृष्णगोपाल व कुन्दनलाल की पत्नि रेस्पो0 सं0 2 कमला देवी व दो पुत्रीया एवं अपीलार्थीया कुल 5 वारिस है। इस प्रकार उसके मृत्तक पुत्र कुन्दनलाल की सम्पति में भी अपीलार्थीया का पांचवा हिस्सा है। इस प्रकार अपीलांटा का उक्त कुल भूमि में 3.12 बीघा व मकान एवं अहाता में आधा हिस्सा की हकदार है।

जिला कलेक्टर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 20/2014

6— **उनका आगे** यह भी कथन है कि अपीलांटा के पुत्र कुन्दनलाल की मृत्यु पर कुन्दनलाल के हिस्से की भूमि का ईन्तकाल भी रेस्पो0 सं0 1 ता 4 ने अपने नाम से करवा लिया और रेस्पो0 सं0 5 मधुसूदन बिहाणी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2012 के द्वारा विक्रय कर दिया व अपीलार्थीया को रिहायशी मकान से भी बेदखल कर दिया। रेस्पोडेन्टस ऐसा करने के हकदार नही थे। इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 30.01.12 अपीलार्थीया के हिस्से की भूमि तक शून्य घोषित किया जावे और उसके हिस्से की भूमि का कब्जा क्रेता से दिलाया जावे तथा मकान का कब्जा भी दिलाया जावे औ वृद्ध होने के नाते भरण पोषण भी दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा चण्डीगढ 2014(5) आर.सी.आर.(सिविल) 656 व 2014(1) आर.सी.आर. (सिविल) 403 का उद्धरण पेश किये और प्रार्थना की कि उसकी अपील स्वीकार की जाकर बैयनामा दिनांक 30.01.2012 उसके भूमि तक निरस्त कर उसके हिस्से की भूमि का कब्जा दिलाया जावे और मकान का भी कब्जा दिलाया जावे एवं भरण पोषण भी दिलवाया जावे।

7— **इसके विपरीत** रेस्पो0 सं0 1 ता 4 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलांटा, रेस्पो0 सं0 1 व 3, 4 की दादी व रेस्पो0 सं0 2 की सास है जो अपनी स्वेच्छा से स्वस्थचित होते हुए अपनी पुत्री सरस्वती के पास चण्डीगढ में रह रही है। उनका आगे कथन है कि अपील में वर्णित कृषि भूमि 12.00 बीघा लिखमीचंद की थी। लिखमीचंद ने अपने जीवनकाल में आधी भूमि अपने पुत्र कुन्दनलाल को दे दी थी जिस पर रेस्पो0 सं0 1 ता 4 बतौर कुन्दनलाल के वारिस उक्त भूमि पर काबिज हुए और अपनी घरेलू जायज जरूरतो को पूरा करने के लिए दिनांक 30.01.12 को मधुसूदन रेस्पो0 सं0 5 को बेचान कर दी और शेष भूमि पर आज भी वे काबिज है। लिखमीचंद की आधी भूमि 6.00 बीघा पर अपीलांट काश्त करवा रही है जिसमें से 4.00बीघा भूमि शिवकुमार पुत्र आसाराम निवासी ख्यालीवाला द्वारा काश्त की जा रही है व 2.00बीघा भूमि इन्द्रजीत पुत्र रजिराम जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला द्वारा हिस्से पर काश्त की जा रही है। जिसकी समस्त आमदन अपीलांटा बिदामीदेवी ही प्राप्त कर रही है।

8— **उनका आगे** यह भी कथन है कि ग्राम ख्यालीवाला में स्थित मकान में आधे हिस्से में रेस्पो0 कमलादेवी, कृष्णगोपाल अपने बच्चो सहित निवास कर रहे है और आधे हिस्से में अपीलार्थी बिदामीदेवी के कब्जे में है जिस पर ताला लगाकर चण्डीगढ गई हुई है।

9— **उनका यह** भी कथन है कि मृत्तक लिखमीचंद जो कि अपीलांटा का पति व रेस्पो0 सं0 2 कमलादेवी का ससुर है व रेस्पो0 सं0 1, 3 व 4 का दादा था ने अपने जीवनकाल में ही अपनी 12.00 बीघा भूमि का बंटवारा किया। जिसमें आधी भूमि अपीलांटा के पति के हिस्से में व शेष आधी भूमि रेस्पो0 के पिता लिखमीचंद के हिस्से में आई। आज भी बिदामीदेवी आधी भूमि पर काश्त करती आ रही है। सरस्वतीदेवी व सरोज जो कि लिखमीचंद की पुत्रीया है उनका इस जमीन में कोई हक व हिस्सा नही है। केवलमात्र बिदामीदेवी अपने दामाद व पुत्रीयों के द्वारा बरगलाने के कारण ही यह कार्यवाही कर रही है और अपीलार्थीया बिदामीदेवी को उनके द्वारा कभी भी घर से नही निकाला गया है। वह अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्रीयों के पास चण्डीगढ में रह रही है जो कभी भी अपने मकान में आकर रह सकती है। रेस्पो0 उसकी सार संभाल करने के लिए हमेशा से तैयार रहे है और आज भी तैयार है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

जिला कलैक्टर

जिला कलैक
श्रीगंगानगर
20/20

10– **उनका यह** भी कथन है कि अपीलार्थीया बिदामीदेवी ने विवादग्रस्त भूमि के संबंध में ईन्तकाल अपील सं0 1/2012 अनवानी बिदामीदेवी बनाम कमलादेवी आदि पेश की थी जो बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 23.05.2012 को जो खारिज कर दी गई। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के विभाजन के संबंध में एक वाद सं0 113/2012 बिदामीदेवी बनाम मधुसूदन आदि विचाराधीन है और रेस्पो0 द्वारा भी उक्त भूमि के संबंध एक वाद सं0 77/2012 एवं विविध प्रकरण सं. 90/2012 कमलादेवी बनाम बिदामीदेवी पेश किये है जो उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित है। इन्ही प्रकरणो का रेस्पो0 व अपीलार्थी का हक व अधिकार तय होना है।

11– **उनका यह** भी कथन है कि अपीलांटा के पति लिखमीचंद राजकीय सेवा में अध्यापक थे और सेवानिवृति के समय कीकरचक राजकीय स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए है जिसकी 15000रूपये पेन्शन अपीलार्थीया प्राप्त कर रही है और अपने हिस्से की 6.00 बीघा भूमि की आमदनी भी प्राप्त कर रही है। इस प्रकार वह अपना भरणपोषण करने में सक्षम है। इसलिए अपीलार्थीया की भरणपोषण संबंधी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नही है।

12– **उनका** यह भी कथन है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि 3.12 बीघा जिसका बैयनमा दिनांक 30.01.2012 को रेस्पोडेन्टस 1 ता 4 द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर रेस्पो0 सं0 5 मधुसूदन बिहाणी को विक्रय की गयी है वह उक्त भूमि रेस्पो0 सं0 1, 3, 4 के पिता व 2 के पति की मृत्यु उपरान्त उतराधिकार में प्राप्त हुई है। यह भूमि किसी प्रकार से बिदामी देवी द्वारा किसी भरण पोषण की शर्त के अधीन दान या अन्यथा भरण पोषण करने की शर्तो के अधीन नही दी गई है। इसलिए धारा 23 के अन्तर्गत उक्त बैयनामा को शून्य घोषित नही किया जा सकता। अगर कोई अपीलार्थीया अपना हक या अधिकार उक्त भूमि पर समझती है तो उसे संबंधित लंबित राजस्व दावो में तय करवाना चाहिए और बैयनामा के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही कर सकती है। अपने कथनों के समर्थन में **माननीय राज0 उच्च न्यायालय का एस.बी. सिविल रिट सं0 4752/2012 जरनेल सिंह वगैरा बनाम एसडीओ गंगानगर एवं संतोख सिंह निर्णय दिनांक 26.08.2016** की प्रति पेश कर प्रार्थना की गई कि उक्त विवादित भूमि धारा 23 की परीधि में नही आती है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील खारिज की जावे।

13– **रेस्पो0 सं0 5** मधुसूदन का लिखित बहस में कथन है कि उसने दिनांक 30.01.2012 को रेस्पो0 सं0 1 ता 4 से उनकी खातेदारी की 3.12बीघा भूमि पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजि0 बैयनामा से खरीद की है और तब से वह इस भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 उक्त बेचान की गयी भूमि के अलावा अपनी अन्य भूमि को काश्त कर रहे है और अपीलार्थीया बिदामी देवी भी अपनी 6.00 बीघा भूमि को अलग काश्त करवा रही है।

14– **उनका आगे** यह भी कथन है कि उक्त विवादित कृषि भूमि के संबंध में एक ईन्तकाल अपील सं0 1/2012 बिदामीदेवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की थी जो दिनांक 23.05.2012 को खारिज कर दी गई है और अपीलार्थीया द्वारा एक अन्य राजस्व वाद सं0 113/2012 152/2012 अनवानी बिदामीदेवी बनाम मधुसूदन आदि एवं कमलादेवी बनाम बिदामीदेवी संख्या 77/2012 उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश कर रखे है जो लंबित है और उसकी दोनो पक्षकारो से कोई रिश्तेदारी व संबंध नही है। इसलिए उक्त माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उक्त बैयनामा दिनांक 30.01.2012 से क्रय की

 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 20/2014

गई 3.12 बीघा भूमि का अन्तरण अपीलार्थीया के भरण पोषण की शर्तो के अधीन नही किया गया है इसलिए इस अपील अधिकरण द्वारा उक्त 3.12 बीघा भूमि के अन्तरण को धारा 23 के तहत शून्य घोषित नही किया जा सकता। ऐसे बैयनामा के विरूद्ध केवलमात्र सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए उसके विरूद्ध अपील खारिज की जावे।

15— **मैने उभय पक्षो** के लिखित कथनो पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील अपीलार्थीया बिदामीदेवी द्वारा उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 56/2013 बिदामीदेवी बनाम कृष्णगोपाल वगैरा में पारित आदेश दि0 03.01.2014 के विरूद्ध पेश की है। अपीलार्थीया ने उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रा0 पत्र दिनांक 10.12.2013 को माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा5 व 23 के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वह एक विधवा 71 वर्ष की वृद्ध औरत है और वरिष्ठ नागरिक है तथा चक 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील श्रीगंगानगर हाल चण्डीगढ की रहनेवाली है तथा उसके पति लिखमीचंद के नाम से चक ख्यालीवाला में एक मकान उतर की ओर साईज 54 फुट, पूर्व में 120 फुट, पश्चिम में 100 फुट उत्तर की और खुलता हुआ जिसमें 6 कमरे और एक दरवाजा है और चक 16 एम.एल. के खाता सं0 98/45 के मु0न0 7 के कि0न0 5/1, 16/2 से 25 की 2.0420 हेक्टर व मु0न0 8 के कि0न0 1/1, 11, 12, 19, 20, 21 की 0.969 हेक्टर दोनो मुरब्बो की कुल 3.110 हेक्टर भूमि थी और चक 11 एलएनपी में प्रार्थीया/अपीलांट के लड़के कुन्दनलाल के नाम से एक अहाता कुल क्षेत्रफल 234.09 वर्गमीटर ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन किया गया है और अपीलांट/प्रार्थीया के पति लिखमीचंद का देहान्त हो चुका है और अपीलांट व प्रार्थीया का पुत्र कुन्दनलाल व उसकी दो पुत्रीयां सरस्वति व सरोज वारिस है और उसके पति लिखमीचंद की मृत्यु उपरांत प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थीया के पुत्र कुन्दनलाल का उसके पति लिखमीचंद की मृत्यु के बाद देहान्त हो गया था इसलिए लिखमीचंद की उक्त कृषि भूमि में कुन्दनलाल का चौथा हिस्सा था जो उसके वारिसान को प्राप्त हुआ है। इसमें मृत्तक कुन्दनलाल का लड़का रेस्पो0 सं0 1—कृष्णगोपाल व कुन्दनलाल की पत्नि रेस्पो0 2 कमला देवी व दो पुत्रीया एवं अपीलार्थीया कुल 5 वारिस है। इस प्रकार उसके मृत्तक पुत्र कुन्दनलाल की सम्पति में भी अपीलार्थीया का पांचवा हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थीया की 3.00 बीघा भूमि पर रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने कब्जा कर रखा है और अपीलांटा की उसके हिस्से की तमाम 3.12 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है और अपीलांटा के पुत्र कुन्दनलाल की मृत्यु पर कुन्दनलाल के हिस्से की भूमि का ईन्तकाल भी अपीलांटा को छोड़कर रेस्पो0 सं0 1 ता 4 ने अपने नाम से करवा लिया और रेस्पो0 सं0 5 मधुसूदन बिहाणी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2012 के द्वारा **3.12 बीघा भूमि बेचान कर दी व अपीलार्थीया को रिहायशी मकान से भी बेदखल कर दिया। रेस्पोडेन्टस ऐसा करने के हकदार नही है। इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 30.01.12 अपीलार्थीया के हिस्से की भूमि तक शून्य घोषित किया जावे और उसके हिस्से की भूमि का कब्जा केता से दिलाया जावे तथा मकान का कब्जा भी दिलाया जावे और रेस्पो0 सं0 1 ता 4 से भरण पोषण भी दिलाया जावे।**

16— **अधिनस्थ** न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 03.01.2014 को निम्न आदेश पारित किया हैः—

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 20/2014

हमने प्रार्थीया अप्रार्थीगण सभी को सुना एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जबाब का अवलोकन किया। जमाबंदी सम्वत 2066–2069 चक 16 एमएल के मु0न0 7, 8 की 3.110 हैक्टर भूमि लिखमीचंद–कुन्दन लाल के फौत होने पर बिदामीदेवी पत्नि स्व0 लिखमीचंद, सरस्वतीदेवी, सरोज पुत्रीयां लिखमीचंद हर तीन ब0हि0ब0 2.258 हेक्टर एवं कमलादेवी पत्नि कुन्दनलाल, कृष्णगोपाल पुत्र कुन्दनलाल, ममता–सुमन पुत्रीया कुन्दनलाल हर चार ब0हि0ब0 0.759 हेक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है। कमलादेवी, कृष्णगोपाल, ममता, सुमन 0.753 है0 जरिए बैयनामा बेचान करने पर ईन्तकाल संख्या 521 दिनांक 29.03.2012 से मधुसूदन बिहाणी पुत्र स्व0 सुशीलकुमार जाति महेश्वरी साकिन 14 पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। कमलादेवी वगैरा ने अपना हिस्सा जरिए पंजिबद्ध बैयनामा दिनांक 30.01.2012 से बिल मुक्ता 17,11,000/–रूपए में मधुसूदन बिहाणी पुत्र स्व0 सुशीलकुमार बिहाणी को बेचान किया है। आबादी भूमि का विक्रय विलेख पत्र 33 दिनांक 21.11.1999 अप्रार्थी के पति कुन्दनलाल पुत्र लिखमीचंद निवासी 11 एलएनपी के नाम से है। प्रार्थीया ने दिनांक 30.01.2012 को अप्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी सं0 5 के हक में करवाये गये पंजिबद्ध दस्तावेज को शून्य घोषित करने का निवेदन किया है। पंजिबद्ध बैयनामा में अंकित भूमि 0.753 हेक्टर भूमि अप्रार्थीगण के नाम थी जो उन्होने अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं0 5 को बेचान कर दी है और कब्जा भी खरीददार का चला आ रहा है। उक्त बैयनामा में अंकित भूमि प्रार्थीया/प्रार्थीया के पति के नाम से नही होने के कारण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) के अन्तर्गत शून्य घोषित नही किया जा सकता है। आबादी भूमि का विक्रय विलेख पत्र 033 दिनांक 21.11.99 जो अप्रार्थीगण के पति/पिता के नाम से है को भी उक्त अधिनियम में शून्य घोषित नही किया जा सकता है। प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा है तो वह न्यायालय में चल रहे विचाराधीन वादो में तनकीयात कायम करने के पश्चात साक्ष्य/सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। पंजीबद्ध बैयनामा को शून्य घोषित करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमानुसार चाराजोही करें। प्रार्थीया को अपने पति लिखमीचंद की पेन्शन करीबन 15,000भी मिल रही है जिससे उसे गुजारा भत्ता की आवश्यकता नही है और न ही उसके द्वारा गुजारा भत्ता की मांग की है। अतः प्रार्थीया को माता पिता भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 व 5 अन्तर्गत कोई राहत प्रदान नही किये जाने के कारण प्रा0 पत्र दाखिल दफतर किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर/थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

17– **अपीलार्थीया** ने अधिनस्थ न्यायालय में उक्त अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 के अन्तर्गत एक प्रा0 पत्र दिनांक 10.12.2013 का पेश करके प्रार्थना की है कि गैरसायलान न0 1 ता 4 से भरण पोषण की राशि दिलाई जावे एवं विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2012 को शून्य घोषित किया जाकर व गैरसायलान को भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा दिलाया जावे एवं मकान का कब्जा भी दिलाया जावे।

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर